

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27.01.23	<p>पत्रावली पेश हुई।  प्रार्थी के वकील उपस्थित। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।  बहस प्रार्थी वकील की सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी  विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार हैं और उक्त भूमि पर काबिज होकर  काश्त करता आ रहा है। विप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से  लगते हुए होने से वे माठ तोड़ कर जबरन प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर  काबिज होने को उतारू रहते हैं।  अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी  सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं  होती है।  लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम थापन  तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1205/229, 230 व 232 रकबा कमशः  0.5018, 0.6880, व 0.8580 के चारों तरफ बाद पैमाईस पक्के नेखम स्थापित  कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1500/- रुपये शुल्क पर  कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।  आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को संबंधित पुलिस थाना से  पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद  पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त  होने पर शामिल पत्रावली की जावे।  पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बाड़मेर)

